

फर्द अहकाम

राजस्थान न्याय न्यायालय राजसूरी जिला

दिनांक

178/2023

दिनांक आज्ञा या कर्मकारी	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08/05/23	<p>दावा वकील वारी ने पेश किया रिपोर्ट अरिस्ता होकर पेश हुई। प्रकरण दर्ज राखिएर किया जावे। वकील वारी उप. हो। प्रतिवादीगण की तलाबी जारी दि. 10/7/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
10/05/23	<p>पतावली पेश हुयी ए. डी. साहब/कार्य फलोलेरा <u>अ. डी. साहब</u> जनरल दिनांक की गई। यहाँ अनुसार पतावली दिनांक <u>29/1/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	
29/5/23	<p>पतावली पेश हुयी वकील वारी उप. हो। पतावली दिनांक 05/9/23 को खर्चदार पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
05/8/23	<p>पतावली पेश हुयी वकील वारी व वारी की वार-2 आवस. दिलाने पर भी को हाजिर नहीं आया। न ही वारी की तरफ से पेशी करने हेतु को हाजिर आया। अतः दावा वारी अरफ हाजरी व अरफ पेशी में खालि किया जाता है। पतावली को तालील शखिर दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	